भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3543

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन

†3543. **थिरु दयानिधि मारन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा संस्थानों के विरुद्ध अनैतिक तरीकों से उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए कोई अनियमितताएँ सामने आई हैं और लगभग 20% मूल्यांकनकर्ताओं को एनएएसी से हटा दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितने संस्थान रैंकिंग प्राप्त करने में असफल रहे हैं;
(ग) सरकार द्वारा प्रत्यायन प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने और उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में रैंकिंग प्रणाली और उद्धरण-आधारित मेट्रिकों पर अत्यधिक निर्भरता के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार की मेट्रिक-आधारित मूल्यांकन के स्थान पर पीअर-समीक्षित, संदर्भ-संवेदी और डिसिप्लिन-विशिष्ट मूल्यांकन ढांचे को लागू करने की कोई योजना है;
(च) क्या सरकार के पास उच्चतर शिक्षा के लिए सार्वजनिक निधि बढ़ाने और अनुदान, अनुमोदन और मान्यता के लिए रैंकिंग पर विनियामक निर्भरता को कम करने की कोई योजना है; और
(छ) यदि हां, तो समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) का गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करती है तथा उनकी उपलब्धियों के आधार पर उन्हें विभिन्न स्तरों पर ग्रेड प्रदान करती है।

मूल्यांकनकर्ताओं के डेटाबेस से मूल्यांकनकर्ताओं को हटाना या जोड़ना एनएएसी की एक नियमित प्रक्रिया है। आवश्यकतानुसार सदस्यों को जोड़कर सहकर्मी समीक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार किया जाता है। मूल्यांकनकर्ताओं के डेटाबेस से 847 मूल्यांकनकर्ताओं को हटाना, निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 में शुरू की गई जांच का परिणाम है। मूल्यांकनकर्ताओं को निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से हटाया जा सकता है:

- मूल्यांकनकर्ता जो सहकर्मी टीम के दौरे को स्वीकार करने से लगातार इनकार कर रहे थे।
- मूल्यांकनकर्ता जिन्होंने अन्य मूल्यांकनकर्ताओं की तुलना में अधिक दौरे किए हैं।

- मूल्यांकनकर्ता जिन्होंने आवश्यकताओं के अनुसार सहकर्मी टीम रिपोर्ट (पीटीआर) तैयार और प्रस्तुत नहीं की है। मूल्यांकनकर्ता डेटाबेस में अपूर्ण प्रविष्टियाँ।
- साथी मूल्यांकनकर्ताओं/एचईआई से प्राप्त फीडबैक के आधार पर

(ख) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) पांच व्यापक मापदंडों नामतः शिक्षण अधिगम और संसाधन (टीएलआर), अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (आरपी), स्नातक परिणाम (जीओ), व्यापकता और समावेशिता (ओआई) और धारणा (पीआर) के आधार पर संस्थाओं को रैंक प्रदान करता है। एनआईआरएफ ने भारत रैंकिंग 2024 के नवीनतम संस्करण में सोलह विषयों/श्रेणियों को स्थान दिया है। रैंक की घोषणा आठ श्रेणियों और आठ विषय क्षेत्रों में की गई। एनआईआरएफ उपरोक्त सभी श्रेणियों/विषयों में रैंक और रैंक बैंड प्रदान करता है। शीर्ष 100 संस्थाओं के लिए रैंक की घोषणा की गई है और 101-150, 151-200 और 201-300 रैंक बैंड की भी घोषणा की गई है।

(ग) एनएएसी अपने मैनुअल तैयार करने में पारदर्शी, हितधारक-संचालित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप मानक बढ़ाना है। विगत छह महीनों में, एनएएसी ने कठोर जांच सुनिश्चित करने और मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने मूल्यांकन और प्रत्यायन (एएंडए) प्रोटोकॉल को काफी सख्त कर दिया है।

(घ) सामान्य डिग्री कॉलेजों, राज्य विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अलग-अलग श्रेणियों में रैंक प्रदान किया गया है। संस्थाओं को रैंक प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली रैंकिंग पद्धति कई मापदंडों जैसे उद्धरण आधारित मेट्रिक्स, छात्र संख्या, संकाय छात्र अनुपात, संकाय अर्हता और अनुभव, प्रकाशनों की संख्या, प्लेसमेंट और उच्चतर अध्ययन, औसत वेतन, स्नातक छात्र, महिला विविधता, क्षेत्रीय विविधता, आर्थिक और सामाजिक रूप से दिव्यांग छात्र आदि पर विचार करती है।

(ङ) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की संकल्पना के अनुरूप कार्यनीतिक सुधारों की शुरूआत और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अनुमोदन, प्रत्यायन और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया है। एनएएसी की कार्यकारी समिति ने डॉ. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को अपना लिया है।

(च) और (छ) शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
बजट आवंटन (रुपये करोड़ में)	93,224.31	1,04,277.72	1,12,899.47	1,21,117.77	1,28,650.05

यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत बनाए गए यूजीसी विनियामक फ्रेमवर्क का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में मानकों के अनुरक्षण और समन्वय कार्य या सुविधाओं को विनियमित करना है।

*****